भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4171 जिसका उत्तर
गुरूवार, 18 जुलाई, 2019/27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

नाविकों के साथ व्यवहार

4171. श्री संतोष कुमारः

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी जेलों में बंद विदेशी नाविकों का ब्यौरा क्या है और उनके मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत "नाविकों के प्रति उचित व्यवहार" संबंधी आई.एम.ओ. संधि का पालन कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नाविकों द्वारा भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में वर्ष 2018 और 2019 के दौरान परित्यक्त भारतीय और विदेशी पोतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पोत मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान व्यापारिक पोतों पर सेवा के दौरान लापता या मृत घोषित भारतीय नाविकों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पीड़ितों के परिवारों को अब तक जारी किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितने दावों का निपटान नहीं किया गया है?

उत्तर
पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

(क) हमारी जेलों में बंद विदेशी नाविकों संबंधी आंकड़े पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) 'नाविकों के प्रति उचित व्यवहार' संबंधी आईएमओ संधि के दिशानिर्देश सिफारिश प्रकृति के हैं। आईएलओ का मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन (एमएलसी), 2006 नाविकों से उचित व्यवहार से संबंधित एक अनिवार्य समझौता है। भारत ने एमएलसी, 2006 को अंगीकार किया है और वाणिज्यिक पोत परिवहन (समुद्री श्रमिक) नियम, 2016 लागू किया है।

(ग) मेसर्स टैग ऑफशोर लिमिटेड (भारतीय ध्वज) के स्वामित्व वाले एम.वी. टैग नव्या के सभी क्रू सदस्यों द्वारा माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 15.05.2019 के आदेश पर मुंबई पत्तन में जलयान से उतरने की घटना को छोड़ कर वर्ष 2018 और 2019 के दौरान भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में नाविकों द्वारा भारतीय और विदेशी ध्वज पोतों को छोड़े जाने से संबंधित कोई मामला सरकार के सामने नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2018 और 2019 के दौरान व्यापारिक पोतों पर सेवा के दौरान मृत या लापता रिपोर्ट किए गए नाविकों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	ब्यौरा	वर्ष 2018	वर्ष 2019
01.	मृत रिपोर्ट किए गए नाविक	36	14
02.	लापता रिपोर्ट किए गए नाविक	13	09

स्रोत: नौवहन महानिदेशालय

(च) वर्ष 2018 और 2019 के दौरान मृत एवं लापता नाविकों के संबंध में मुआवज़ा जारी किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	ब्यौरा	वर्ष 2018	वर्ष 2019
01.	मृत्यु होने के मामले में मुआवज़ा जारी किया गया	16	05
02.	लापता होने के मामले में मुआवज़ा जारी किया गया	01	05

स्रोत: नौवहन महानिदेशालय

निपटान के लिए शेष 45 मामलों में, निम्नलिखित कारणों से मुआवज़ा लंबित है:

i) संबंधित विदेशी देशों से फ्लैग स्टैट इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट न मिलना;

ii) परिकल्पित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निकटतम संबंधी से अपेक्षित आवेदन प्राप्त न होना (दो मामलों में);

iii) मृतक के निकटतम संबंधियों के बीच विवाद के कारण (एक मामले में)।

*****